

आज्ञा पत्र

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त एवं अपीलान्त स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल (१३)जे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बादजुद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाना गया। प्रकरण फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरीवी तकमील दाखिल दफतर हो।



मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

